04/06/2020 आज यह पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा मय प्रार्थी उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गयी। प्रार्थी ने प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि फ़रीकान का पंचायत में आपसी सहमति से राजीनामा होने की संभावना बन गई है, प्रार्थना पत्र में आगामी कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्रावली आज की पेशी में ली जाकर विदड्रा करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी की इश्तदुआ पर प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी मौका स्तर पर जरिए विदड्रा खारिज किया जाता है, तथा न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.03.2020 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

Sd/-

देवेन्द्र मेहता
एडवोकेट

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner